न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 57/19 GCMS NO 2019/00188

पुखराज पुत्र कजोडया जाति मीना निवासी केमला तहसील नादौती जिला करौली
अपीलांट

बनाम

1. कमलराम पुत्र कजोडया जाति मीना निवासी केमला तहसील नादौती जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती जिला करौली

(अपील विरूद्व मु0नं0 9/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा

दिनांक 29.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कमलराम द्वारा दावा घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज धारा 88 व 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सपठित धारा 251 इस आशय का पेश किया कि भूमि साबिक ख0न0 1198 रकबा 10 बीघा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि रही थी। जिसको गलत तरीके से ख0न0 1198/2 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता रामकिशोर पुत्र किशनलाल लाल द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली जबकि सम्वत 2020 भूमि एकीकरण मे रास्ता की भूमि रही है जिसके हाल सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल ख0न0 2478 रकबा 0.09 हे0 ,2479 रकबा 0.10 है0 दर्ज किया है। जो जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है चूकि अब भूमि नादौती श्रीमहावीरजी मुख्य सडक के दांई और स्थित है जो रोड सीमा मे आती है। इसी भूमि मे होकर काश्तकारो को अपने अपने खेतो पर जाने का रास्ता है। चूकि उक्त भूमि हाल ख0न0 2478 व 2479 दोनो ही आम रास्ते की भूमि रही है। भूमि ख0न0 2478 व 2479 की खातेदारी जिसके नाम दर्ज रिकार्ड है उससे दिनांक 7.12.15 को वादी के निवेदन पर वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 2476/2 की मेड तंक जाने के लिए रास्ता सर्मपण पत्र तहसीलदार नादौती को प्रतिवादी पुखराज द्वारा तस्दीक करा दिया गया लेकिन आज तक उक्त सर्मपण पत्र का अमल दरामद नही हो पाया। उक्त रास्ते की भूमि मे से वादी को अपने खेतो पर जाने हेतु रास्ता की सख्त आवश्यकता होने से उक्त सर्मपण पत्र गवाहो की मौजूदगी मे पेश किया गया। जिसे तहसीलदार नादौती द्वारा स्वीकार कर लिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested

गया लेकिन राजस्व रिकार्ड मे अमल नही होने से राजस्व रिकार्ड मे अभी उक्त भूमि खातेदारी दर्ज है। दिनांक 12.1.17 को प्रतिवादी द्वारा भूमि ख0न0 2478 व 2479 मे होकर जाने हेतु मना करने पर राजस्व विभाग मे कागजात इक्ठठे करने पडे, तहसीलदार के यहॉ सर्मपण पत्र की जॉच की तो सर्मपण पत्र तहसीलदार के यहॉ से गुम होना बताया। जबकि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उसी अदिन कृषि भूमि का विनिमय पत्र भी मंजूर हुआ उसी सर्मपण पत्र गुम होने से राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होने से रह गया। भूमि ख0न0 2478 रकबा 0.09 है0 , 2479 रकबा 0.10 है0 ग्राम कैमला की खातेदारी पुखराज पुत्र कजोडया मीना के नाम से हजफ की जाकर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराने का आमजन को कानूनी अधिकार है। आमजन को रास्ता की भूमि को उपयोग उपभोग आने जाने निकलने का सुधाधिकार प्राप्त है। जिसे कानून की मदद से पुनः रास्ता दर्ज कराने हेतु यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी चालाक किस्म का व्यक्ति है यदि सर्मपण पत्र दिनांक 7.12.15 का अमल दरामद नही हुआ तो वादी को खेतो पर जाने से रोक दिया जबकि दोनो सगे भाई है। रास्ता देने की सहमति से ही दोनो भाईयो ने भूमि ख0न0 1517/3194 रकबा 0.26 है0 वादी ने पुखराज प्रतिवादी को दे दी व भूमि ख0न0 2476/2 रकबा 0.28 है0 पुखराज ने वादी को दे दी। दोनो भाईयो ने विनिमय कर लिया अब चूकि ख0न0 2476/2 वादी की खातेदारी की भूमि है जो प्रतिवादी द्वारा बदले मे दी गई है जबकि वादी द्वारा उक्त भूमि का बदला रास्ता हेतु किया था। इस प्रकार सर्मपण पत्र का रास्ता दर्ज नही होने से प्रतिवादी फिर से हावी हो गया। इसलिए मुताबिक सर्मपण पत्र भूमि ख0न0 2476/2 तक भूमि ख0न0 2478 रकबा 0.09 है0 व ख0न0 2479 रकबा 0.10 है0 मे नजरी नक्शे अनुसार लाल स्याही के सहारे आम रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार मुताबिक सर्मपण पत्र दिनांक 7.12.15 भूमि हाल ख0न0 2478 रकबा 0.09 है0 ख0न0 2479 रकबा 0.10 है0 ग्राम कैमला मे नजरी नक्शा मुताबिक मुख्य सडक से 12 फीट चौडा रास्ता वादी के ख0न0 2476/2 की मेड तक प्रतिवादी की खातेदारी हजफ की जाकर रास्ता घोषित फरमाया जावे। इस पकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 2478 व 2479 की भूमि के संबंध मे अपीलांट द्वारा कोई सर्मपण पत्र रेस्पो0 संख्या 1 या तहसीलदार के हक मे कभी नही लिखा गया और ना ही कोई हस्ताक्षर किये अगर कोई सर्मपण पत्र दिनांक 17.12.15 को अपीलांट द्वारा तह[illegible] लिखा जाता तो वह अवश्यक ही पंजीकृत कराया जाता व उसका रिकार्ड पंजीयन [illegible] नादौती मे मौजूद होता या उस पर मुताबिक कूनन राजस्व रिकार्ड मे अमल हेतु [illegible] होकर तहसील द्वारा नादौती का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आदेश होता। इस प्रकार काई भी स्थिति न होने से स्पष्ट है कि ना तो कोई सर्मपण पत्र लिखा गया ना ही उसकी एन्ट्री हुई और ना ही वह पंजीवद्व हुआ। इससे रेस्पो0 न0 1 की यह थ्यौरी कि सर्मपण पत्र तहसीलदार द्वारा गुम कर दिया गया बिलकुल बनावटी व झूठी है केवल मात्र अपीलांट की भूमि को हडपने की गरज दर्ज की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी तरीके से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। रेस्पो0 द्वारा दावे के साथ तथाकथित सर्मपण पत्र की फोटो प्रति पेश की है जो कानूनन किसी भ प्रकार से विश्वास योग्य नही है ना तो तथाकथित सर्मपण पत्र रजिस्टर्ड है और ना ही असल है। बल्कि कोई फर्जी व फवरीकेट दस्तावेज है। जिससे रेस्पो0 संख्या 1 वादी को कोई राईट कानून प्राप्त नही होते है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय से मनमर्जी तरीके से कैम कोर्ट मे उक्त तथाकथित फर्जी सर्मपण पत्र पर अपीलाट की गलत रूप से सहमति दर्ज कर निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पारित की है। जो निरस्त योग्य है। भूमि ख0न0 2478 व 2479 रकबा 19 ऐयर रास्ते की भूमि नही है। बल्कि उक्त रास्ता जो पुख्ता महावीरजी व नादौती रोड है जो सा0निर्माण विभाग के अधीन है व अलग खसरा न0 है तथा उक्त पुख्ता महावीर–नादौती रोड के सहारे दक्षिण की ओर स्थित है। जो कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जो कि नक्शा शीट से स्पष्ट है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण स्थिति को आवर लुक करते हुए मनमर्जी तरीके से निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को मनमर्जी तरीके से कैम्प कोर्ट मे निर्णित किया है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा कही भी उक्त वाद के डिक्री के संबंध मे अपनी सहमति कही भी नही दी। और कानून किसी वाद को जबाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की शहादत लेकर तय करना चाहिए था। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून गलत तरीके से सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया को विधि के मेडेटरी प्रावधानो का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। भूमि ख0न0 2478 व 2479 रकबा 19 ऐयर का अपीलांट द्वारा उसके साबिक मालिक भरतलाल पुत्र किशनलाल से खरीद कर कब्जे मे लिया है। अपीलांट बोनाफाईड परचेजर है तथा सम्वत 2036 मे उसकी खातेदारी मे रही है। कोई रास्ते की भूमि नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि भूमि साबिक ख0न0 1198 रकबा 10 बीघा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि रही थी। जिसको गलत तरीके से ख0न0 1198/2 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता रामकिशोर पुत्र किशनलाल लाल द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली जबकि सम्वत 2020 भूमि एकीकरण मे रास्ता की भूमि रही है जिसके हाल सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल ख0न0 2478 रकबा 0.09 हे0 2479 रकबा 0.10 है0 दर्ज किया है। चूकि अब भूमि नादौती श्रीमहावीरजी मुख्य सडक [illegible] और स्थित है जो रोड सीमा मे आती है। इसी भूमि मे होकर काश्तकारों को [illegible] का रास्ता है। चूकि उक्त भूमि हाल ख0न0 2478 व 2479 दोनो ही आम रास्ते की [illegible] रही है। भूमि ख0न0 2478 व 2479

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

की खातेदारी जिसके नाम दर्ज रिकार्ड है उससे दिनांक 7.12.15 को वादी के निवेदन पर वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 2476/2 की मेड तक जाने के लिए रास्ता सर्मपण पत्र तहसीलदार नादौती को स्वयं प्रतिवादी पुखराज द्वारा तस्दीक करा दिया गया लेकिन आज तक उक्त सर्मपण पत्र का अमल दरामद नही हो पाया। अपीलांट द्वारा रास्ते के आवागमन मे रूकावट पैदा करने के कारण ही वादी/रेस्पो0 द्वारा रास्ता प्रदान करने हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के निर्देशान्तर्गत न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पैमला मे उपस्थित होने हेतु अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस जारी कर सूचित किया गया। जिस पर अपीलांट केम्प कोर्ट मे उपस्थित हुए है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुना जाकर सर्मपण पत्र सही होना मानकर एवं रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने से ही रास्ता विधि के अनुरूप प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की परिवार के सदस्य है जो कि कजोडया के पुत्र है। वादी/रेस्पो0 द्वारा अपनी आराजीयात ख0न0 2476/2 की मेड तक आने जाने हेतु रास्ता अपने ही भाई पुखराज/अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 2478 रकबा 0.09 है0 व 2479 रकबा 0.10 है0 मे से मुताबिक सर्मपण पत्र दिनांक 7.12.15 के आधार पर ही रास्ता चाहा गया है। चूकिः पत्रावली मे उपलब्ध सर्मपण पत्र जो कि अपीलांट/पुखराज द्वारा 100/–रूपये के स्टाम्प कर तहरीर किया जाकर अपने हस्ताक्षर किये है उसमे स्पष्ट अंकन है कि अपीलांट की आराजीयात ख0न0 2478 व 2479 मे से आराजीयात ख0न0 2476 की मेड तक 12 फीट रास्ता नाप किया जाकर राज्य सरकार के हित मे आम रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार आम जन की सुविधा एवं कृषि के कार्य हेतु रास्ता एक सुगम आवश्यकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/प्रार्थी की आराजीयात पर पहुॅच हेतु रेस्पो0 के सर्मपण पत्र के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत विधि अनुसार ही रास्ता प्रदान किया गया है। जो विधि के प्रावधानो के तहत ही प्रदान किया गया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के प्रकरण संख्या 9/17 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2025 को इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर